



क्रमांक: एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/अनु-3/वेज/68151/2014

जयपुर दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

13 SEP. 2022

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नियोजित मेट की मजदूरी दर के संबंध में।

संदर्भ – विभागीय समसंख्य पत्र दिनांक 01.04.2021।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2022 के द्वारा राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2022 से रु. 231/- प्रति दिवस निर्धारित की गई है।

उक्त दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशों के अतिक्रमण में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट की मजदूरी दर में संशोधन कर वर्ष 2022-23 में रु. 240/- प्रति दिवस निर्धारित की जाती है। तदनुसार पत्र जारी होने की दिनांक से योजनान्तर्गत नियोजित मेट को रु. 240/- प्रति दिवस की मजदूरी दर से भुगतान किया जावे। पूर्व में जिन मेटों को भुगतान किया जा चुका है उन्हें किसी भी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 102205053 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(मंजू राजपाल)  
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5), विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

  
परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर  
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/अनु.-3/वेज/68151/2014

जयपुर दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

04 APR 2022

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नियोजित अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2022 से रु. 231/- प्रति दिवस निर्धारित की गई है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(के.के.पाठक)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5), विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस। / ग्रा वि वि.
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
10. श्री रिकू छीपा, प्रोग्रामर ईजीएस को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस